

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र०।
- 4- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 14 मार्च, 2018

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारियों की भूमिका के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर राज्य और जनपद की भांति कार्यक्रम के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु समिति बनाया जाय, जिसमें खण्ड विकास अधिकारी पदेन अध्यक्ष एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पदेन सचिव होंगे। समिति में विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत समस्त विभागों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, जल निगम, क्षेत्र पंचायत के एक सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत के तीन सदस्य होंगे।

2- उक्त निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास खण्ड स्तर पर निम्नवत् रूप में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु समिति का गठन किया गया है:-

क्र.सं.	पदनाम	समिति में स्तर
1	खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	सदस्य सचिव
3	खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य

4	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5	सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण)	सदस्य
6	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
7	अवर अभियन्ता जल निगम	सदस्य
8	क्षेत्र पंचायत सदस्य (एक) जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य
9	प्रधान ग्राम पंचायत (तीन) जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा नामित	सदस्य

3- इस समिति का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त एवं खुले में शौचमुक्त के स्थायित्व चरण का प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना होगा। खण्ड विकास अधिकारी/अध्यक्ष, विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु समिति का उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक माह विकास खण्ड की समीक्षा कर प्रगति एवं रणनीति से जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रबन्धन समिति को अवगत करायेगी तथा स्वयं एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सदस्य, सचिव के संयुक्त प्रयासों से जनपद व राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में सहयोग करेगी। अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदेव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पर्यावरण भवन, 12 वां तल, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, दिल्ली।
3. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पर्यावरण भवन, 12 वां तल, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, दिल्ली।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पंचायतीराज विभाग, 30प्र0 शासन।

5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-113/पी.एस.एम.एस./2018 दिनांक 17.01.2018 के संदर्भ में।
6. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, 30प्र0।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
8. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, वित्त, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, सूचना, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
10. महालेखाकार, 30प्र0 इलाहाबाद।
11. निदेशक, पंचायतीराज 30प्र0 लखनऊ।
12. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, 30प्र0।
13. महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, 30प्र0।
14. समस्त सदस्य, शीर्ष स्टेट सैनिटेशन मिशन, 30प्र0।
15. समस्त सदस्य, कार्यकारी समिति स्टेट सैनिटेशन मिशन, 30प्र0।
16. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, 30प्र0।
17. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत) 30प्र0।
18. समस्त सदस्य, जिला स्वच्छता समिति, 30प्र0।
19. समस्त प्रमुख क्षेत्र पंचायत, 30प्र0।
20. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, 30प्र0।
21. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2
22. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) 30प्र0।
23. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, 30प्र0।
24. समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, 30प्र0।
25. समस्त सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण), 30प्र0।
26. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, 30प्र0।
27. समस्त अवर अभियन्ता, जल निगम, 30प्र0।
28. नामित क्षेत्र पंचायत सदस्य (एक)
29. नामित प्रधान ग्राम पंचायत (तीन)
30. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।